

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम


फर्द अहकाम

गुं नं 50/17 तारीख 2 जू 19.7.17

उनवान - दुर्गा बनाम गुलाब पौं असरो
प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थी की ओर से सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 के तहत पेश किया। जमा बन्दी का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र रजिस्ट्रर कर अप्रार्थी गण को जरिये नोटिस से तालब कर दिनांक 25/7 को पेश हो।

413340
19.7.17


जगदीश आर्य
उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम

25.7.17

प्रार्थी वकील उप० / अप्रार्थी नं. 1 की ओर से श्री रमेश चन्द खैरी ADV ने भीमो पेश किया। अप्रार्थी नं. 2 नं. 6 के नोटिस अदम्य तारीख आज हुए हैं, अप्रार्थी नं. 7, 8 का वजूद सूचना उप० नहीं है। उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रार्थी वकील व अप्रार्थी वकील के वकील के अंतरिम आस्था निषेधाज्ञा के विषय में बहस सुनने का कथन किया। बहस सुनी गई। नियो वकीलों ने रिजर्व एवं मोके की घयास्थिति को धरने के लिए उभय पक्षों को पाबन्द करने का कथन किया। बहस सुनकर पत्रावली का भवलि कन किया। विवादित आस्था पात पैटुक है।

हात: उभयपक्षकारों को अंतरिम आस्था निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि गुम असरो

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

प्रार्थी वकील उप०। प्रार्थी वकील को न्यायहित में एक डी.सि.ग
मो.का देकर निर्देश दिये जाते हैं कि प्रतिवादी नं. 2 का वकील
तलवना सही व पूर्ण पते पर 7 दिन में पेश करें। वास्तु तलबी
दिनांक 28-8-19 को पेश हो।

[Signature]

प्रार्थी वकील उप०। गतोदे शिवा की कालना में तलवना पेश करने
के निर्देश दिये जाते हैं। वास्तु तलबी दिनांक 27-9-19 को पेश

हो।
[Signature]

प्रार्थी वकील उप०। कथन किया कि अप्रार्थी नं. 1 गुलाब
फौत हो चुका है। दर० कायम मुकाम की पेश करने दिनांक
1-11-19 को पेश हो।

[Signature]

वकूलाय मास्थित/पीठासन अधिकारी
बाहर पधार है। अतः पत्रावली गतानुसार
दिनांक 3-12-19 को पेश हो।

[Signature]

प्रार्थी वकील उप०। अप्रार्थी नं. 1 के कायम मुकाम की दर० व नोटिस
पेश करने की हिदायत के साथ मो.का दिया जाता है दिनांक 24-12-19

को पेश हो।
[Signature]

24-12-19

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित नहीं थी
कई बार रुक-रुक कर आवाज दितवाई गई। फिर
भी प्रार्थी वकील एवं प्रार्थीगण में से कोई उपस्थित नहीं
थी अतः यह प्रवर्ना पत्र अख्यार्ड निवेधाना अदम राजिरी
एवं अदम चैरबी में खारिज किया जाता है पत्रावली के
समाहान नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न
रहे।

[Signature]

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

